संख्या- 33 /2026/49-3002(001)/1/2022- I/1479111/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में 34 जिला सहकारी बैंकों में अंशपूँजी विनियोजन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/781906/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 14.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन पूंजीगत मद में मुख्य लेखाशीर्ष - ''4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 05-34 जिला सहकारी बैंक में अंशपूंजी विनियोजन, 30- निवेश/ऋण'' में प्राविधानित धनराशि रूपये 1500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन पूंजीगत मद में मुख्य लेखाशीर्ष - ''4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 05-34 जिला सहकारी बैंक में अंशपूंजी विनियोजन, 30- निवेश/ऋण'' में प्राविधानित धनराशि रूपये 1500.00 लाख के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या- I/1438809/2026, दिनांक 20.08.2026 द्वारा निर्गत धनराशि रूपये 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार प्रदान की गयी है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	जिला सहकारी बैंक का नाम	बैंकों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का विवरण
1.	बांदा	45.08
2.	बरेली	220.95
3.	फिरोजाबाद	133.88
4.	ललितपुर	65.79
5.	उन्नाव	100.00
6.	कानपुर	14.30
7.	रामपुर	10.00
8.	मुरादाबाद	25.00
9.	उरई(जालौन)	10.00
10.	मेरठ	25.00
11.	मुजफ़्फरनगर	25.00
12.	लखीमपुर-खीरी	25.00
13.	बिजनौर	25.00
14.	गाजियाबाद	25.00
	कुल योग रू0	**750.00**

3- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित नियमों/शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

<u>नियम/ शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धानराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि योजना अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित हो। स्वीकृत धनराशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति इस प्रकार निर्गत की जायेगी कि अधिक से अधिक जिला सहकारी बैंकों को एक ही बार में संतृप्त किया जा सके।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(6) लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों के क्रियाकलापों एवं प्रगति की अनवरत रूप से समीक्षा/निगरानी इस प्रकार की जाये कि सम्बन्धित बैंक लाभ में हों तथा उन्हें पुनः किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता न पडे, इसका दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 750.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष - "4425001070500 34 जिला सहकारी बैंक में अंशपूंजी विनियोजन मानक मद 30- निवेश/ऋण"के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-2-148-X-2026-27 दिनांक: 25-9-2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ0प्र0।
4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6) अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(बैंकिंग), सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।
8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0/उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9) आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
11) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।